न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–91/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्रीमती कंचन देवी

बनाम

श्री हरबिन्दर सिंह आदि

उपस्थित : श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री सी0एम0 असवाल।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा बरीराई, तहसील गदरपुर,
जनपद ऊधमसिंह नगर।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा निगरानी संख्या–56 वर्ष 2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम हरपिन्दर सिंह आदि बनाम श्रीमती कंचन देवी आदि में पारित आदेश दिनांक 29–06–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदातागण हरपिन्दर सिंह आदि द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार, गदरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। नामान्तरण वाद में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने के कारण वाद निर्विवादित होने के फलस्वरूप तहसीलदार, गदरपुर ने निर्णयादेश दिनांक 06–06–2013 से नामान्तरण वाद स्वीकार किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व निगरानीकर्ता श्रीमती कंचन देवी ने कलेक्टर/जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई। विद्वान कलक्टर/जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्णयादेश दिनांक 01–05–2015 से वादग्रस्त भूमि को अपील की सुनवाई तक कय–विकय व जबरन व गैर कानूनी तरह से कब्जा करने पर रोक लगाये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्व प्रतिउत्तरदाता श्री हरपिन्दर सिंह ने विद्वान आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के समक्ष निगरानी अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की। विद्वान आयुक्त के समक्ष निगरानीकर्ता की ओर से कैविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 29–06–2015 को निगरानीकर्ता/कैविएटर को सूचना के बावजूद अनुपस्थिति के कारण विद्वान आयुक्त द्वारा निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण करते हुए कलक्टर/जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर का निर्णयादेश दिनांक 01–05–2015 स्थगित करते हुए निगरानी में अग्रिम तिथि नियत की गई। विद्वान आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के आदेश दिनांक 29–06–2015 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के प्रश्नगत आदेश/पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि तहसीलदार, गदरपुर के समक्ष प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 व 02 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर दाखिल खारिज वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई और तहसीलदार द्वारा दाखिल खारिज वाद दिनांक 20–04–2013 को निरस्त कर दिया गया। प्रतिउत्तरदातागण द्वारा पूर्व दाखिल खारिज वाद के निरस्त होने के तथ्यों को छिपाकर पुनः उसी भूमि के बावत दूसरा दाखिल खारिज वाद योजित किया गया और निगरानीकर्ता को बिना सुने ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 06–06–2013 पारित करा लिया जिसके विरूद्व जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के समक्ष निगरानीकर्ता ने अपील प्रस्तुत की और उक्त अपील में स्थगन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ निगरानी न्यायालय आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के समक्ष निगरानीकर्ता ने कैविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और आयुक्त द्वारा बिना कैविएटर को सुने ही जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित कर दिया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर है और निरस्त होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिउत्तरदातागण द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में निगरानीकर्ता का कैविएट प्रस्तुत था और उसे दिनांक 21–05–2015 को निगरानी प्रस्तुत होने की सूचना थी और आदेश पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी उपलब्ध हैं परन्तु वे नियत तिथि 29–06–2015 को आयुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसके फलस्वरूप आयुक्त द्वारा निगरानी में कलक्टर/जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित करते हुए निगरानी में अग्रिम तिथि नियत की गई। आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी अभी गुणदोष के आधार पर निर्णीत नहीं हुई और प्रश्नगत आदेश अन्तर्वर्तीय आदेश है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ निगरानी न्यायालय में अभी निगरानीकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर उपलब्ध है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण के प्रथमदृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, गदरपुर के दाखिल खारिज आदेश के विरूद्व कलक्टर/जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के समक्ष धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निगरानीकत्री द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी और विद्वान कलक्टर द्वारा आदेश दिनांबक 01–05–2015 से अपील की सुनवाई तक क्रय–विक्रय व जबरन व गैर कानूनी कब्जा करने पर रोक लगाई गई। इस आदेश के विरूद्व विद्वान आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष प्रतिउत्तरदातागण हरपिन्दर सिंह आदि ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा–219 के अन्तर्गत निगरानी योजित की। इस निगरानी में निगरानीकत्री द्वारा कैविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मैंने विद्वान आयुक्त के आदेश पत्र दिनांक 21–05–2015 का भी भली–भाँति अवलोकन किया। इस आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि अधिवक्ता अपीलकर्ता तथा अधिवक्ता कैविएटर सूचित। आदेश पत्र दिनांक 21–05–2015 पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं अधिवक्ता कैविएटर के हस्ताक्षर भी परिलक्षित होते हैं। दिनांक 29–06–2015 को न्यायालय में अधिवक्ता कैविएटर के अनुपस्थित होने के कारण निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थगित किया गया। विद्वान आयुक्त द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 29–06–2015 अन्तर्वर्तीय आदेश है और विधि अनुसार अन्तर्वर्तीय आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। विद्वान आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में अभी उभयपक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है और अभी निगरानी का निस्तारण गुणदोष के आधार पर होना है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य है और विद्वान आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 08/03/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।